



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264659
CG-DL-E-15072025-264659

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]
No. 497]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 जुलाई, 2025.

सं. 5506/बीईई/एस&एल/एफआर/2025-26—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (“ब्यूरो”) के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य और स्वैच्छिक उपकरणों पर शुल्क की प्रयोज्यता के लिए अधिसूचना अर्थात्; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025 का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित मसौदा विनियम एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए और उनके सुझाव और आपत्तियां (यदि कोई हो) आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों पर भारत के राजपत्र, असाधारण में उनके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 को डाक द्वारा तथा ईमेल helpdesk@beeindia.gov.in पर भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) से है;
- (ख) "लेबल" से तात्पर्य किसी लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या ग्राफिक सामग्री से है जो, जैसा भी मामला हो, अनिवार्य उपकरण या स्वैच्छिक उपकरण पर चिपकाई जाती है या दिखाई देती है;
- (ग) "अनिवार्य उपकरणों" में समय-समय पर यथासंशोधित इन विनियमों की अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर शामिल होंगे।
- (घ) "परमिटधारक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या एजेंसी से है जिसे लेबल लगाने की अनुमति दी गई है।
- (ङ) "स्वैच्छिक उपकरणों" में समय-समय पर यथासंशोधित इन विनियमों की अनुसूची ख के अंतर्गत निर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर शामिल होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किये गये, किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के तात्पर्य क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. उद्देश्य- इन विनियमों का उद्देश्य व्यूरो द्वारा मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सहायता और संधारणीयता के लिए अनिवार्य और स्वैच्छिक उपकरणों के परमिटधारकों पर शुल्क लगाने और संग्रहण करने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करना है।

4. प्रयोज्यता- ये विनियम, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के और अनुसूची ख के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी उपकरणों अथवा उपस्करों पर लागू होंगे।

5. कंपनी पंजीकरण- (1) कंपनी पंजीकरण के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक कंपनी जो अनिवार्य उपकरणों या स्वैच्छिक उपकरणों का विनिर्माण या आयात करती है, व्यूरो को पांच हजार रुपये के एकमुश्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगी।

(2) एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद, कंपनियां लागू विनियमों के अनुपालन के अधीन अनिवार्य उपकरणों या स्वैच्छिक उपकरणों या दोनों का निर्माण या आयात कर सकती हैं।

6. लेबल सुरक्षा जमा- उपकरण पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक परमिटधारक व्यूरो को प्रति उपकरण पांच लाख रुपए की लेबल सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करेगा।

परंतु लघु उद्योग के मामले में, लेबल सुरक्षा जमा राशि केवल एक लाख रुपये होगी।

7. लेबल अनुमति शुल्क- (1) मॉडलों पर लेबल लगाने की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक परमिटधारक व्यूरो को प्रति आवेदन पांच हजार रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा।

8. लेबल अनुमति नवीकरण शुल्क- (1) जहां स्टार रेटिंग या समर्थन लेबल को संशोधित किया गया है, वहां अनुमत मॉडल पर लेबल लगाना जारी रखने के लिए अनुमति के नवीकरण हेतु, प्रत्येक परमिटधारक व्यूरो को एक हजार रुपये के शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उप-खण्ड (1) के होते हुए भी, यदि नवीकरण किसी विद्यमान स्टार रेटिंग योजना या पृष्ठांकन लेबल, जैसा भी मामला हो, को जारी रखने के लिए है तो कोई शुल्क देय नहीं होगा।

9. लेबल शुल्क- (1) प्रत्येक अनिवार्य उपकरण के लिए, परमिटधारक व्यूरो को समय-समय पर यथासंशोधित अनुसूची ख के अनुसार लेबल शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) प्रत्येक स्वैच्छिक उपकरण के लिए, परमिटधारक व्यूरो को समय-समय पर यथासंशोधित अनुसूची ख के अनुसार लेबल शुल्क का भुगतान करेगा।

(3) उपर्युक्त उप-विनियम (1) और (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति की तिथि से पंद्रह (15) दिन के भीतर त्रैमासिक रूप से किया जाएगा।

(4) परमिटधारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति की तिथि से पंद्रह (15) दिन के भीतर व्यूरो को लेबलयुक्त उपकरणों अथवा उपस्करों के उत्पादन का व्यूरा तथा प्रत्येक तिमाही के लिए देय उपार्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण प्रस्तुत करेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से दो माह के भीतर व्यूरो को उत्पादन आंकड़ों का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित समाधान प्रस्तुत करेगा।

परंतु विनियम 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर, व्यूरो विनियम 4 के अंतर्गत किए गए लेबल सुरक्षा जमा से देय राशि की दस प्रतिशत प्रति वर्ष के व्याज सहित वसूली कर सकता है और यदि जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर संपूर्ण लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता है, तो व्यूरो परमिटधारक को प्रदान किए गए सभी लेबल रद्द कर सकता है और परमिटधारक का नाम समाचार पत्रों में चूककर्ता के रूप में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल सुरक्षा जमा की वापसी- (1) परमिटधारक, विनियम 7 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अधीन, अनिवार्य या स्वैच्छिक उपकरण, जैसा भी मामला हो, का विनिर्माण बंद करने पर, लेबल सुरक्षा जमा की वापसी का हकदार होगा।

(2) व्यूरो, परमिटधारक द्वारा व्यूरो को अनिवार्य या स्वैच्छिक उपकरण का विनिर्माण स्थायी रूप से बंद करने की लिखित सूचना देने की तिथि से तीस (30) दिन की अवधि के भीतर परमिटधारक को सुरक्षा जमा राशि वापस लौटा देगा, परंतु सूचना सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए।

11. भुगतान की पद्धति- सभी भुगतान स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम से किए जाएंगे।

आकाश त्रिपाठी, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./230/2025-26]

अनुसूची क

अनिवार्य उपकरणों की उनके लेबलिंग शुल्क सहित सूची

क्र. सं.	उपकरण का नाम	लेबल का प्रकार	लागू लेबल शुल्क (भारतीय रूपये में)
1क.	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर	प्रति 1 नग	15
1ख.	डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर	प्रति 1 नग	15
1ग.	डीप फ्रिज़र	प्रति 1 नग	25
2क.	रूम एयर कंडीशनर (निश्चित गति)	प्रति 1 नग	30
2ख.	रूम एयर कंडीशनर (परिवर्तनीय गति)	प्रति 1 नग	30
2ग.	हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर	प्रति 1 नग	95
2घ.	आरएसी (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टावर, सीलिंग, कॉर्नर एसी)	प्रति 1 नग	30
2ङ.	चिलर्स	प्रति 1 किवाट	5
3.	इलेक्ट्रिक सीलिंग प्रकार के पंखे	प्रति 1 नग	2
4.	स्थिर भंडारण प्रकार के इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर	प्रति 1 नग	5
5क.	रंगीन टेलीविजन	प्रति 1 नग	10
5ख.	अल्ट्रा हाई डेफिनिशन टेलीविजन	प्रति 1 नग	30
6.	वॉशिंग मशीन	प्रति 1 नग	30
7क.	ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप	प्रति 100 नग	5
7ख.	सेल्फ-बैलास्टेड एलईडी लैंप	प्रति 100 नग	10
8	वितरण ट्रांसफार्मर	प्रति 1 नग	100
9.	सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल	प्रति वाट	0.025

10.	ग्रिड से जुड़ा सौर इन्वर्टर	प्रति किवाट	5
-----	-----------------------------	-------------	---

अनुसूची ख

स्वैच्छिक उपकरणों की उनके लेबलिंग शुल्क सहित सूची

क्र. सं.	उपकरण का नाम	लेबल प्रकार	लेबल शुल्क लागू (भारतीय रूपये में)
1क.	सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मोटर	प्रति 1 किलोवाट	5
1ख.	एआर कंप्रेसर	प्रति 1 किलोवाट	10
2क.	सबमर्सिवल पंप सेट	प्रति 1 नग	20
2ख.	ओपेनवेल पंप सेट	प्रति 1 नग	20
2ग.	इलेक्ट्रिक मोनो पंप सेट	प्रति 1 नग	20
2घ.	कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल इंजन चालित मोनोसेट पंप	प्रति 1 नग	15
3क.	घरेलू गैस स्टोव	प्रति 1 नग	1
3ख.	माइक्रोवेव ओवन	प्रति 1 नग	20
3ग.	इंडक्शन हॉव	प्रति 1 नग	5
4क.	कंप्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप)	प्रति 1 नग	20
4ख.	कार्यालय स्वचालन उत्पाद	प्रति % एमआरपी	0.05
5	बैलास्ट (इलेक्ट्रॉनिक/चुंबकीय)	प्रति 100 नग	10
6	सॉलिड स्टेट इन्वर्टर	प्रति 1 नग	5
7	डीजल जनरेटर सेट	प्रति 1 नग	35
8	सौर वॉटर हीटर	प्रति 100 एलपीडी	5
9	टायर/टायर्स	प्रति 1 नग	2
10	उच्च ऊर्जा लिथियम-आयन कर्षण बैटरी पैक और प्रणालियाँ	प्रति 1 किवाघं	10
11क.	पेडेस्टल पंखा	प्रति 1 नग	1
11ख.	टेबल/दीवार पंखा	प्रति 1 नग	1
12	पैकेजड बॉयलर	प्रति ईपीएच	200

13क.	साइड बाय साइड/मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर	प्रति 1 नग	30
13ख.	वाणिज्यिक विवरेज कूलर	प्रत्येक यूनिट के लिए	15
13ग.	रेफ्रिजरेंट कम्प्रेसर	प्रति किलोवाट	20

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10 July, 2025.

No. 5506/BEE/S&L/FR/2025-26—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, proposes the notification for the applicability of fees to the mandatory and voluntary appliances under the Standards and Labelling Programme of Bureau of Energy Efficiency (“Bureau”) namely; Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025. The proposed draft regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R. K. Puram, Sector-1, New Delhi-110066 through post and email at helpdesk@beeindia.gov.in.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, mandatory appliance or voluntary appliance as the case may be;
- (c) “Mandatory Appliances” shall include appliances or equipment as specified under Schedule A of these regulations as amended from time to time.
- (d) “Permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label.
- (e) “Voluntary Appliances” shall include appliances or equipment specified under Schedule B of these regulations as amended from time to time.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Objective.- The objective of these Regulations is to establish a framework for the levy and collection of fees from permittees of Mandatory and Voluntary appliances, in order to support and sustain the implementation of Standards and Labelling Programme by the Bureau.

4. Applicability.-These regulations shall be applicable to all appliances or equipment as specified under Schedule A and Schedule B annexed to these Regulations.

5. Company registration.- (1) For the purpose of company registration, every company that manufactures or imports Mandatory Appliances or Voluntary Appliances shall pay to the Bureau a one-time application fee of five thousand rupees.

(2) Once registered, the companies may manufacture or import Mandatory Appliances or Voluntary Appliances or both, subject to compliance with applicable regulations.

6. Label Security Deposit.-For the purposes of appliance registration every permittee shall pay to the Bureau a label security deposit of five lakh rupees per appliance.

Provided that in case of small-scale industry, the label security deposit shall be one lakh rupees only.

7. Label Permission Fee.—(1) For the purposes of acquiring permission to affix labels on models, every permittee shall pay to the Bureau an application fee of five thousand rupees per application.

8. Label Permission Renewal Fee.—(1) To renew permission for continuance to affix label on the permitted model where the star ratings or endorsement label have been revised, each permittee shall pay to the Bureau a fee of one thousand rupees.

(2) Notwithstanding sub-clause (1), no fee shall be payable if the renewal is for the continuation of an existing star rating plan or endorsement label, as the case may be.

9. Label Fee.—(1) For each mandatory appliance, the permittee shall pay to the Bureau, a label fee as per Schedule A as amended from time to time.

(2) For every voluntary appliance, the permittee shall pay to the Bureau, a label fee as per Schedule B as amended from time to time.

(3) The label fee specified under sub-regulation (1) and (2) above shall be paid quarterly within fifteen (15) days from the date of closure of each quarter of the financial year.

(4) The permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled appliances or equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within fifteen (15) days from the date of closure of each quarter of the financial year and conciliation of the production data which is duly certified by a Chartered Accountant shall be submitted to the Bureau within two months from the date of closure of each financial year.

Provided that on failure to pay the label fee within the period specified under Regulation 7, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten percent per annum from the label security deposit made under Regulation 4 and if complete labelling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security deposit.—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of Regulation 7, a permittee shall be entitled to a refund of the label security deposit, on ceasing to manufacture the mandatory or voluntary appliance, as the case may be.

(2) The Bureau shall refund the security deposit to the Permittee within a period of thirty (30) days from the date the Permittee provides written intimation to the Bureau that it has permanently ceased to manufacture the mandatory or voluntary appliance, provided that the intimation is complete in all respects.

11. Mode of Payment.— All payments shall be made through acceptable electronic payment mode.

AKASH TRIPATHI, Director General
[ADVT.-III/4/Exty./230/2025-26]

Schedule A
List of Mandatory Appliances along with their Labelling Fee

S.No.	Name of Appliance	Label Type	Label Fee Applicable (in INR)
1a.	Frost Free Refrigerators	Per 1 Piece	15
1b.	Direct Cool Refrigerators	Per 1 Piece	15
1c.	Deep Freezers	Per 1 Piece	25
2a.	Room Air Conditioners (Fixed Speed)	Per 1 Piece	30
2b.	Room Air Conditioners (Variable Speed)	Per 1 Piece	30
2c.	Light Commercial Air Conditioners	Per 1 Piece	95
2d.	RAC (Cassette, Floor Standing Tower, Ceiling, Corner AC)	Per 1 Piece	30
2e.	Chillers	Per 1 kW	5

3.	Electric Ceiling Type Fans	Per 1 Piece	2
4.	Stationary Storage Type Electric Water Heater	Per 1 Piece	5
5a	Colour Televisions	Per 1 Piece	10
5b.	Ultra High Definition Televisions	Per 1 Piece	30
6.	Washing Machine	Per 1 Piece	30
7a.	Tubular Fluorescent Lamps	Per 100 Pieces	5
7b.	Self-Ballasted LED Lamps	Per 100 Pieces	10
8	Distribution Transformers	Per 1 Piece	100
9.	Solar Photovoltaic Modules	Per Watt	0.025
10.	Grid Connected Solar Inverter	Per kW	5

Schedule B
List of Voluntary Appliances along with their Labelling Fee

S. No.	Name of Appliance	Label Type	Label Fee Applicable (in INR)
1a.	General Purpose Industrial Motor	Per 1 kW	5
1b.	Air Compressor	Per 1 kW	10
2.a	Submersible Pump Set	Per 1 Piece	20
2.b	Openwell Pump Set	Per 1 Piece	20
2.c	Electric Mono Pump Set	Per 1 Piece	20
2.d.	Diesel Engine Driven Monoset Pumps for Agricultural Purposes	Per 1 Piece	15
3.a.	Domestic Gas Stove	Per 1 Piece	1
3.b.	Microwave Ovens	Per 1 Piece	20
3.c.	Induction Hob	Per 1 Piece	5
4.a.	Computer (Notebook/ Laptops)	Per 1 Piece	20
4.b.	Office Automation Products	Per % MRP	0.05
5	Ballast (Electronic/ Magnetic)	Per 100 Pieces	10
6	Solid State Inverter	Per 1 Piece	5
7	Diesel Generator Set	Per 1 Piece	35
8	Solar Water Heater	Per 100 LPD	5
9	Tyres /Tires	Per 1 Piece	2
10	High-Energy Lithium-Ion traction Battery packs and systems	Per 1 kWh	10
11a.	Pedestal Fan	Per 1 Piece	1
11b.	Table/Wall Fan	Per 1 Piece	1

12	Packaged Boiler	Per TPH	200
13a.	Side by Side/Multi Door Refrigerator	Per 1 Piece	30
13b.	Commercial Beverage Coolers	Per each unit	15
13c.	Refrigerant Compressors	Per kW	20